अनुसूची १४–फारम सं०–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता०..से...तक

जिला..................................., सं०.., सन् १६.................................

केस का प्रकार..

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
	<u>न्यायालय, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा</u> ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्या 32–50 / 2012–13 अनीता कुमारी – अपीलार्थी वनाम राज्य – रेस्पोण्डेन्ट –: **<u>आदेश</u>** :– प्रस्तुत अपीलवाद अपीलार्थी द्वारा ज्ञापांक 1720–1 / आई.सी.डी.एस. सहरसा दिनांक 11.10.2012 अन्दर वाद संख्या 93 / 2012–13 में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित आदेश से क्षुब्ध होकर यह वाद दायर किया गया है। यह अपीलवाद कहरा ग्रामीण परियोजना के बनगॉव दक्षिण पंचायत अन्तर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्र बिकौआ पंच, केन्द्र सं0 34 से संबंधित है । वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना । अभिलेख में रक्षित साक्ष्यों का गहन अवलोकन किया । अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता बहस के दौरान कथन करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलवाद वापस करने के लिए वापसी प्रार्थना पत्र समर्पित किया गया हैं, जो अभिलेख में संधारित है। अपीलार्थी द्वारा वाद की वापसी प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि चूँकि अपीलार्थी वाद चलाना नहीं चाहते हैं तथा अपीलार्थी	

द्वारा वापसी प्रार्थना पत्र के माध्यम से वाद वापस करना चाहते हैं । अतः अपीलार्थी द्वारा वाद की कार्रवाई बन्द करने हेतु वापसी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की याचना की गयी है ।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता कथन करते है कि अपीलार्थी उक्त वाद को चलाने के लिए तैयार नहीं है। अतएव वाद वापसी आवेदन के आधार पर वाद की कार्रवाई को बंद किया जा सकता है ।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में रक्षित अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलार्थी के द्वारा समर्पित वाद वापसी प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलवाद बिना शर्त्त खारिज किया जाता है । इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित,

16/1/14
क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।

16/1/14
क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।